

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स किसान भवन, जेल रोड भोपाल

Email

क्रमांक/स्था./बी-1/टी-437/पार्ट-3/1582

भोपाल दिनांक 16/01/2025

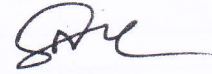
//आदेश//

म0प्र कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 30(3) के अन्तर्गत श्रीमती प्रमिला सोनी, भृत्य, मूल कृषि उपज मंडी समिति बडवाह जिला खरगौन को स्वयं के व्यय पर समान पद व वेतनमान में कृषि उपज मण्डी समिति राजगढ़ जिला धार में आदेश जारी दिनांक से अन्य आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया जाता है।

उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी पर मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 30 की उपधारा (4)(क) के अनुसार मूल मण्डी में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा।
2. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी के मासिक वेतन एवं भत्ते कृषि उपज मण्डी समिति राजगढ़ जिला धार से ही देय होंगे।
3. प्रतिनियुक्ति कर्मचारी के सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर कभी भी सक्षम स्वीकृति की अनुमति लेकर वापिस की जा सकती है।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)



उप संचालक (स्था.)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/स्था./बी-1/टी-437/पार्ट-3/1583

भोपाल दिनांक 16/01/2025

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय इन्दौर।
3. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति बडवाह जिला खरगौन/राजगढ़ जिला धार। संबंधित कर्मचारी की भारमुक्ति/उपस्थिति से तत्काल अवगत करावें।
4. श्रीमती प्रमिला सोनी, भृत्य, कृषि उपज मण्डी समिति बडवाह जिला खरगौन की ओर पालनार्थ।
5. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।



उप संचालक (स्था.)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल